न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00067

1. छोटू शाह पुत्र मोहम्मद शाह (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. अशफाक पुत्र छोटू शाह ।
   1/2. रसूल मोहम्मद पुत्र छोटू शाह ।
   1/3. वहीदन बाई पत्नी स्व0 छोटू शाह ।
   1/4. अकीला
   1/5. रसीदन पुत्रियॉ छोटू शाह जाति फकीर निवासीगण सुल्तानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. ख्वाजू शाह पुत्र मोहम्मद शाह जाति फकीर ।
3. हुसैन शाह
4. कलाम पिसरान बशीर शाह जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. कालू पुत्र रमजानी शाहब जाति मुसलमान निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. निसार
7. सत्तार
8. जाकिर
9. रफीक पिसरान पीरूशाह
10. पीरूशाह
11. इमाम शाह
12. बाबू शाह पिसरान कालू शाह जाति मुसलमान फकीर ।
13. सुबराती शाह पुत्र लटूर शाह जाति मुसलमान फकीर निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
14. सोहिल पुत्र अलानूर शाह जाति मुसलमान फकीर निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ हवामहल जयपुर जरिये चैयरमेन वक्फ बोर्ड, जयपुर ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मो0 युनुस, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अब्दुल सलामखान, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 08.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92(ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डाहरा की आराजी खसरा नम्बर 122 की रकबा 05 बीधा 08 बिस्वा पीर जी की डोहली माफीदार जमाल वलद नन्ने शाह 1/2, कालू व लटूर, छोट्या, ख्वाजू नाबालिग वली कालू पिसरान मोहम्मद शाह 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है । इसी प्रकार ग्राम मोरपा की खसरा नम्बर 123 की 20 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 की 04 बीघा 07 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा 1/2 – 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है । इसके अलावा ग्राम केथोडी की डोहली आराजी खसरा नम्बर 109 की रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा संभाग से 1/2 – 1/2 दर्ज है । ग्राम रसूलपुर खेडा में 32 बीघा 01 बिस्वा भूमि माफी की उक्त खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी । इस प्रकार चारों गॉवों की आराजी कुल रकबा 70 बीघा 17 बिस्वा महकमा खास द्वारा बहुकम माल सदर 29.01.1908 को बाबत् खिदमत चिराग बत्ती दरगाह अमरपीर जी विराजमान मोरपा मोहम्मद शाह व नन्नेखॉ हिस्सा बराबर मंजूर हुआ था । दिनांक 01.02.1932 को इंतकाल नं0 127 का अमल दरामद किया गया । इस प्रकार वादीगण की उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का प्रतिवादी क्रम 02 का कोई हक नहीं बनता है किन्तु प्रतिवादी क्रम 02 ने प्रतिवादी क्रम 01 से मिली भगत करके राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है । बाद सेटलमेंट ग्राम डाहरा तहसील लाडपुरा के नये खसरा नम्बर 327 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.04 हैक्टर कुल 03 किता की रकबा 1.25 हैक्टर कायम किये गये । ग्राम केथोडी तहसील लाडपुरा के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 226 रकबा 0.98 हैक्टर कायम किया गया । ग्राम रसूलपुर तहसील लाडपुरा के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 390 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 393 रकबा 1.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 394 रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.38 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 4.56 हैक्टर कायम किये गये । इसी प्रकार ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 202 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 204 रकबा 1.38 हैक्टर कुल 03 किता की रकबा 4.04 हैक्टर कायम किये गये हैं । उक्त चारों गॉवों की वादग्रस्त आराजी पर कोटा रियासत के समय दाखिल खारिज होने के बाद से गत निरन्तर जमाल शाह, नन्ने शाह, कालू, छोट्या, ख्वाजू, लटूर बेटे मोहम्मद शाह एवं उनके वारिसान का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है । माफी रिज्यूम होने से वादीगण उक्त आराजी पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त चले आ रहे हैं । सेटलमेंट को राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी क्रम 02 के नाम दर्ज कर दी जो प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। राज्य सरकार द्वारा माफी रिज्यूम होने से पूर्व माफीदारान या चौकीदारान के नाम दर्ज थी उन्हें पूर्ववत उनके नाम वापस दर्ज करने के आदेश दिये हुए हैं । वादीगण ने उक्त आदेश का हवाला देते हुए कई बार निवेदन किया कि उक्त भूमि को वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज

किया जावे किन्तु इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की गई । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा करवाकर उक्त भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर पूर्ववत दुरूस्ती करते हुए प्रतिवादी कम 02 का नाम हटाकर वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे और इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी कम 02 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को अथवा उसके किसी भू–भाग को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी कम 02 करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 11 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अप्रार्थी कम 02 को दो माह का कानूनी नोटिस वक्फ अधिनियम की धारा 89 के तहत नहीं दिया गया है जबकि प्रतिवादी कम 02 के खिलाफ कानूनी कार्यवाही से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है । प्रतिवादी कम 01 को ही नोटिस जारी किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 02 के खातेदारी में दर्ज है । प्रतिवादी कम 02 को नोटिस के अभाव में उक्त वाद प्रतिवादी कम 02 के खिलाफ चलने योग्य नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी कम 02 के खिलाफ उक्त वाद खारिज फरमाया जावे । प्रतिवादी कम 02 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 एवं 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 85 के तहत वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद को श्रवण करने का अधिकार राज0 वक्फ अधिकरण जयपुर को प्राप्त न कि इस न्यायालय को । वादपत्र में वर्णित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में वादीगण एवं उनक पूर्वजों द्वारा इस न्यायालय में ही सन् 1995 में वाद संख्या 256/95 पेश किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 20.03.1997 को हो गया और उक्त वाद खारिज कर दिया । उक्त निर्णय आज भी प्रभावी है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण पर रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है । अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज फरमाया जावे । इसी प्रकार प्रतिवादी कम 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 85 वक्फ अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्फ सम्पत्तियॉ जो राज0 वक्फ गजटनोटिफिकेशन 1965 के कम संख्या 233, 321, 322 एव 323 पर दर्ज हैं चूँकि वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित विवादों को श्रवण करने हेतु वक्फ प्राधिकरण जयपुर में स्थित है जहॉ वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्ध विवादों का श्रवण किया जाता है । इन सम्पत्तियों में से कुछ का विवाद पूर्व में इसी न्यायालय में पेश किया गया था जो दिनांक 20.03.1977 से खारिज कर दिया गया जिसकी अपील वादीगण द्वारा किसी उच्च न्यायालय में नहीं की गई है । समस्त सम्पत्तियॉ वक्फ बोर्ड जयपुर के खाते में दर्ज है । उक्त वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे । ग

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.03.2020 के द्वारा प्रतिवादी कम 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 11 सीपीसी का स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.03.2020 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी क्रम 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 द्वारा जवाबदावा भी पेश नहीं किया गया है । प्रस्तुत वाद में रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है क्योंकि पूर्व वाद में पक्षकारान भिन्न थे तथा जिस वाद का वर्णन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किया गया है वह केवल मात्र एक गॉव की आराजी के सम्बन्ध में है । प्रस्तुत वाद में वक्फ बोर्ड को नोटिस देना आवश्यक नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.03.2020 निरस्त फरमाया जावें ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी समय पर अपील पेश करना चाहता था किन्तु अचानक दिनांक 22.03.2020 से लॉक डाउन लग जाने से अपील समय पर पेश नहीं सका था । दिनांक 31.05.2020 को लॉक डाउन में ढील देने पर अपीलान्ट द्वारा गॉव से आकर यह अपील पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । इस दावे में रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । प्रतिवादीं संख्या 01 और 02 की ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया । जवाबदावा पेश किये बिना ही सीधे आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि जवाबदावा लिये बिना आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं करना चाहिए । रेसजूटीकेटा का सिद्धान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है क्योंकि पूर्व प्रकरण में पक्षकारान भिन्न हैं तथा पूर्व वाद मात्र एक ग्राम की आराजी के सम्बन्ध में पेश किया गया था जबकि प्रस्तुत वाद ग्राम डाहरा, केथोडी, मोरपा और रसूलपुर की समस्त आराजीयात के सम्बन्ध में पेश किया गया है । पूर्व वाद संख्या 121/96 धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था । वर्तमान दावा हक घोषणा का है । पूर्व वाद में वर्णित आराजी माफी की अपीलान्ट के पूर्वज अमरी शाह के नाम की थी तथा उक्त आराजी माफीदारान अपीलान्ट व उनके पूर्वजों के खाते में दर्ज चली आ रही थी । उक्त आराजी माफी की होने के नाते किसी अन्य संस्था के नाम दर्ज नहीं की जा सकती तथा वक्फ बोर्ड के नाम उक्त आराजी अवैध रूप से दर्ज की गई है । मुख्य रिलीफ राज्य सरकार से चाही गई है इसलिए उन्हें नोटिस दिया गया है । वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया जाना अनिवार्य नहीं है । लॉक डाउन के कारण अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है विलम्ब के शमन हेतु धारा 05 मियाद अधिनियमा का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय में दावे के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 ग्राम रसूलपुर नया खाता संख्या 74 की कुल 04 किता की रकबा 4.56 हैक्टर आराजी दरगाह पीरजी चिराग बति विराजमान मोरपा सम्पत्ति वक्फ बोर्ड के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 ग्राम मोरपा नया खाता संख्या 32 में कुल 03 किता की रकबा 4.04 हैक्टर दरगाह अमर पीरजी राजस्थान ऑफ मुस्लिम वक्फ बोर्ड हवा महल जयपुर के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 ग्राम डाहरा नया खाता संख्या 26 की कुल किता 03 रकबा 1.25 हैक्टर भूमि दरगाह अमर पीरजी मोरपा राजस्थान बार्ड ऑफ वक्फ जयपुर के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 ग्राम केथोडी नया खाता संख्या 11 में खसरा नम्बर 226 की रकबा 0.98 हैक्टर आराजी दरगाह अमर पीरजी विराजमान मोरपा राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ हवामहल जयपुर के खाते में दर्ज है । वादी द्वारा सरकार को दिये गये नोटिस 80सीपीसी की प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है । इसके पूर्व में पेश किये गये वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे की प्रति भी संलग्न है । राजस्थान सरकार देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.12.1992 की प्रति एवं परिपत्र देवस्थान विभाग दिनांक 21.03.2000 की प्रति भी पत्रावली में संलग्न है ।

15. इस प्रकार पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियॉ संलग्न है उसके अनुसार सम्पत्तियॉ वक्फ बोर्ड के खाते में दर्ज हैं और वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 89 के अनुसार बोर्ड के विरूद्ध कोई भी दावा तब तक संस्थित नहीं जा सकेगा जब तक कि बोर्ड को नोटिस देने के 02 माह बाद पेश नहीं किया गया हो । वादी द्वारा वक्फ बोर्ड को नोटिस नहीं दिया गया । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वक्फ अधिनियम की धारा 06 व 07 के अनुसार वक्फ की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने पर दावा वक्फ प्राधिकरण में ही पेश किया जा सकता है न कि किसी राजस्व अथवा सिविल न्यायालय में और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सम्पत्तियॉ वक्फ बोर्ड के खाते में दर्ज हैं । रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अनुसार वादग्रस्त आराजी राज़स्थान वक्फ गजटनोटिफिकेशन 1965 के क्रम संख्या 233, 321, 322, 323 पर दर्ज हैं । इन तथ्यों के आधार पर वादी अपीलान्ट के द्वारा राजस्व न्यायालय में पेश किया गया दावा मेन्टेनेबल नहीं है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर 2018 (2) डब्ल्यूएलएन (एससी) पेज 89, आरएलआर 2000 (3) पेज 330 यहॉ चस्पा होती हैं । तद्नुसार दावा वादी विधिक रूप से राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.03.2020 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/1/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजल़ास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00067

1. छोटू शाह पुत्र मोहम्मद शाह (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. अशफाक पुत्र छोटू शाह ।
   1/2. रसूल मोहम्मद पुत्र छोटू शाह ।
   1/3. वहीदन बाई पत्नी स्व0 छोटू शाह ।
   1/4. अकीला
   1/5. रसीदन पुत्रियॉ छोटू शाह जाति फकीर निवासीगण सुल्तानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. ख्वाजू शाह पुत्र मोहम्मद शाह जाति फकीर ।
3. हुसैन शाह
4. कलाम पिसरान बशीर शाह जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. कालू पुत्र रमजानी शाहब जाति मुसलमान निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. निसार
7. सत्तार
8. जाकिर
9. रफीक पिसरान पीरूशाह
10. पीरूशाह
11. इमाम शाह
12. बाबू शाह पिसरान कालू शाह जाति मुसलमान फकीर ।
13. सुबराती शाह पुत्र लटूर शाह जाति मुसलमान फकीर निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
14. सोहिल पुत्र अलानूर शाह जाति मुसलमान फकीर निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ हवामहल जयपुर जरिये चैयरमेन वक्फ बोर्ड, जयपुर

––प्रत्यर्थी

जगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.03.2020 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर यालय) कोटा जिला कोटा ।

संख्याः 49/दावा/2014

1. छोटू शाह पुत्र मोहम्मद शाह (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. अशफाक पुत्र छोटू शाह ।
   1/2. रसूल मोहम्मद पुत्र छोटू शाह ।
   1/3. वहीदन बाई पत्नी स्व0 छोटू शाह ।
   1/4. अकीला
   1/5. रसीदन पुत्रियॉ छोटू शाह जाति फकीर निवासीगण सुल्तानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. ख्वाजू शाह पुत्र मोहम्मद शाह जाति फकीर ।
3. हुसैन शाह
4. कलाम पिसरान बशीर शाह जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. कालू पुत्र रमजानी शाहब जाति मुसलमान निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. निसार
7. सत्तार
8. जाकिर
9. रफीक पिसरान पीरूशाह
10. पीरूशाह
11. इमाम शाह
12. बाबू शाह पिसरान कालू शाह जाति मुसलमान फकीर ।
13. सुबराती शाह पुत्र लटूर शाह जाति मुसलमान फकीर निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
14. सोहिल पुत्र अलानूर शाह जाति मुसलमान फकीर निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ हवामहल जयपुर जरिये चैयरमेन वक्फ बोर्ड, जयपुर

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.03.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 08.01.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री मो0 युनुस एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री अब्दुल सलाम खान के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.03.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 08.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर.

8/1/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा